भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 243

21 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक कृषि संबंधी मिशन

243. श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री भर्तृहरि महताबः

डॉ. मन्ना लाल रावतः

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

श्री मनोज तिवारीः

श्री अभिमन्यु सेठीः

डॉ. संजय जायसवालः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री विवेक ठाकुरः

श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

श्री आलोक शर्माः

श्री गोडम नागेशः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ और पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित वर्ष 2026 के दौरान राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के अंतर्गत शामिल किसानों, पुंजों और शामिल किए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक कृषि के उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन संपर्क के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित राज्य और जिला-वार प्राकृतिक कृषि को अपनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों/सहायता का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2026 के दौरान इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' को केंद्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में मंज़ूरी दी जिसे राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत शामिल किसानों की संख्या और कवर किए गए क्षेत्र का राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के अनुसार विवरण **'अनुबंध-I'** पर दिया गया है। राजस्थान के पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित विवरण **'अनुबंध-II'** पर दिया गया है।

(ग): इस मिशन के तहत, स्कीम को क्लस्टर लेवल पर कार्यान्वित करने में सहायता के लिए 527 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), 76 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ (एयु) और 194 लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टिट्यूट्स (एलएनएफआई) की पहचान की गई है। इन कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके)/स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ (एसएयू) के वैज्ञानिकों, स्कीम को लागू करने वाले राज्य/ज़िला/ब्लॉक लेवल के अधिकारियों और किसान मास्टर ट्रेनर्स (एफएमटी) को ट्रेनिंग देने के लिए नेचुरल फार्मिंग इंस्टिट्यूट्स (सीओएनएफ) के 18 सेंटर्स की पहचान की गई है। क्लस्टर लेवल पर, किसानों को नेचुरल फार्मिंग के तरीकों के बारे में गाइड करने के लिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (सीआरपी) को तैनात किया गया है। ऐसे सीआरपी और किसानों को केवीके, एसएयू और एलएनएफआई में वैज्ञानिकों और एफएमटी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। किसानों को प्राकृतिक खेती से हुई उपज के लिए अच्छी कीमत दिलाने के उदेश्य से, प्राकृतिक खेती की उपज के सर्टिफ़िकेशन के लिए "पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस)-इंडिया नेचुरल" के तौर पर नेचुरल फार्मिंग सर्टिफ़िकेशन सिस्टम (एनएफसीएस) शुरू किया गया है। अब तक 22.39 लाख से अधिक किसान इस सर्टिफ़िकेशन सिस्टम के तहत पंजीकृत हो चुके हैं और 14.20 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के सर्टिफ़िकेट जारी किए जा चुके हैं। प्राकृतिक खेती से सर्टिफ़ाइड उत्पाद बाज़ार के साथ-साथ 'ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स' (ओएनडीसी) पर भी 'बिज़नेस-टू-कंज्यूमर' बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

(घ): यह मिशन किसानों को 2 वर्ष तक (प्रति किसान अधिकतम 1 एकड़ तक) प्रति एकड़, प्रति वर्ष ₹4000/- का 'आउटपुट-बेस्ड इंसेंटिव' देता है। यह प्रोत्साहन सहायता किसानों को प्राकृतिक खेती करने, अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने, पशुधन की देखभाल करने और मिक्सिंग और स्टोरेज कंटेनर की खरीद या बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (बीआरसी) से इनपुट खरीद सहित प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक इनपुट तैयार करने में मदद के लिए है। नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक खेती अपनाने वाले लगभग 91.2% किसानों ने फसल की उत्पादकता में वृद्धि और मिट्टी की दशा में काफी सुधार देखा है। 90.1% किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से इनपुट लागत (उत्पादन लागत) कम हुई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2025-26 तक इस स्कीम के तहत हुई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण क्रमशः **अनुबंध-I और III** पर दिया गया है।

अनुबंध-I

वर्ष 2025-26 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार गठित क्लस्टर की संख्या, शामिल किए गए किसानों की संख्या और हेक्टेयर में क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित कलस्टर	नामांकित किसानों की संख्या	क्षेत्र हेक्टेयर में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	250	100
2	आंध्र प्रदेश	5002	650163	425912.564
3	अरुणाचल प्रदेश	108	2982	705.316
4	असम	32	3721	2584.596
5	बिहार	450	50065	21155.308
6	छत्तीसगढ	467	57590	25605.416
7	दिल्ली	6	375	150
8	गोवा	13	1623	630.888
9	गुजरात	1033	117108	48740.94
10	हरियाणा	194	11288	9307.212
11	हिमाचल प्रदेश	531	62003	22002.316
12	जम्मू एवं कश्मीर	160	19791	6905.048
13	झारखंड	182	11562	4586.88
14	कर्नाटक	991	124332	54456.8
15	केरल	114	16700	6210.112
16	लद्दाख	4	621	175.616
17	मध्य प्रदेश	1805	167661	90902.256
18	महाराष्ट्र	1711	143707	40514.96
19	मणिपुर	88	9077	3564.632
20	मेघालय	84	7017	2273.396
21	मिजोरम	176	13503	8396.04
22	नागालैंड	107	7998	3473.12
23	ओडिशा	442	60422	24058.648
24	पुदुचेरी	6	772	256.252
25	पंजाब	68	5295	1831.28
26	राजस्थान	2380	212346	91165.58
27	तमिलनाडु	60	6072	2708.912
28	तेलंगाना	506	61205	35819.928
29	त्रिपुरा	111	13643	5188.988
30	उत्तर प्रदेश	1857	230733	83166.9
31	उत्तराखंड	203	23032	9566.548
	कुल	**18893**	**2092657**	**1032116.452**

अनुबंध – II

राजस्थान के पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2025-26 तक गठित क्लस्टर की संख्या, शामिल किसानों की संख्या और हेक्टेयर में क्षेत्र

क्र. सं.	पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान	गठित कलस्टर	नामांकित किसानों की संख्या	क्षेत्र हेक्टेयर में
		50	6250	2500

अनुबंध – III

वर्ष 2025-26 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार फंड का खर्च

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**व्यय**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.77
2	आंध्र प्रदेश	11909.98
3	अरुणाचल प्रदेश	831.43
4	असम	225.74
5	बिहार	1072.06
6	छतीसगढ	2024.29
7	दिल्ली	0.73
8	गोवा	5.36
9	गुजरात	2086.86
10	हरियाणा	58.99
11	हिमाचल प्रदेश	3425.67
12	जम्मू एवं कश्मीर	1112.44
13	झारखंड	215.89
14	कर्नाटक	3680.44
15	केरल	438.01
16	लद्दाख	26.57
17	मध्य प्रदेश	4461.76
18	महाराष्ट्र	7535.47
19	मणिपुर	325.56
20	मेघालय	232.90
21	मिजोरम	890.23
22	नागालैंड	918.50
23	ओडिशा	1125.74
24	पुदुचेरी	74.66
25	पंजाब	148.37
26	राजस्थान	4997.82
27	तमिलनाडु	381.94
28	तेलंगाना	492.71
29	त्रिपुरा	851.13
30	उत्तर प्रदेश	5650.91
31	उत्तराखंड	782.55
32	आईसीएआर एक्सटेंशन.	1028.56
33	आईसीएआर एनआरएम	1249.26
	कुल	**59814.43**
